स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 30/07/2019

File No. CBS/2/2018/STGCG/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. कलेक्टर,
   जिला–दुर्ग
   (छत्तीसगढ़)

2. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ़ पुलिस.
   पुलिस मुख्यालय,
   रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001

विषयः आदिवासी राजगोंड स्वं. श्री दिलीप सिंह के करीब 9 एकड़ कृषि भूमि हड़प के संदर्भ में अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में भू– राजस्व संहिता की 1959 की धारा (170ख) में दर्ज प्रकरण क्रमांकः 01 अ/23 वर्ष 2015–2016 में शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही के संबंध में–श्री चंद्रभान सिंह, मठपारा वार्ड नं. 03, पार्षद नरेंद्र बंजारे के घर के पीछे गली में, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) का दिनांक 31–12–2017 के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 23.07.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय **में दिनांक 23.07.2019** को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(डा. ललित लट्टा) 30/7/2019
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री चंद्रभान सिंह,
   मठपारा वार्ड नं. 03,
   पार्षद नरेंद्र बंजारे के घर के पीछे गली में,
   दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ)

2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- CBS/2/2018/STGCG/DELAAL/RU - III)

श्री चंद्रभान सिंह, मठपारा वार्ड नं. 03, तहसील- दुर्ग, जिला- दुर्ग(छत्तीसगढ़) द्वारा आदिवासी राजगोंड स्व. श्री दिलीप सिंह के करीब 9 एकड़ कृषि भूमि हड़पने के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में भू-राजस्व संहिता की 1959 की धारा (170ख) में दर्ज प्रकरण क्रमांक 01 अ/23 वर्ष 2015-16 में कार्रवाई के संबंध में दिए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 23.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री चंद्रभान सिंह, मठपारा वार्ड नं. 03, तहसील- दुर्ग, जिला- दुर्ग(छत्तीसगढ़) द्वारा आदिवासी राजगोंड स्व. श्री दिलीप सिंह के करीब 9 एकड़ कृषि भूमि हड़पने के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में भू-राजस्व संहिता की 1959 की धारा (170ख) में दर्ज प्रकरण क्रमांक 01 अ/23 वर्ष 2015-16 में कार्रवाई के संबंध में अभ्यावेदन दिया था जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर दिनांक 09.01.2018 को नोटिस जारी किया था।
2. मामले में कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 26.03.2018 और दिनांक 20.12.2018 को स्मरण पत्र भेजा गया था। मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 23.07.2019 को बैठक निर्धारित की गई। दिनांक 12.07.2019 को बैठक की नोटिस कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ को भेजा गया था।
3. माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 23.07.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें जिला प्रशासन, दुर्ग की ओर से श्री खेमलाल वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपस्थित हुए।
4. आयोग में अभ्यावेदक ने बताया कि फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा बैनामा बनवाकर सुराना परिवार द्वारा करीब 9 एकड़ भूमि हड़प ली गई है। स्व. श्री दिलीप सिंह के पुत्र श्री चंद्रभान

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सिंह को बेदखल कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा अपनी मनमर्जी से भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन एसडीएम द्वारा गलत फैसला दिया गया और मामला बंद कर दिया गया। उनके उपर पुलिस द्वारा फर्जी केस बनाकर परेशान किया जा रहा है।

5. जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित एसडीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व की धारा 170 के तहत मामला दर्ज है। दस्तावेज के अनुसार स्व. दिलीप सिंह द्वारा 1954 में सुराना परिवार को जमीन रजिस्ट्री की गई है। जिसे अभ्यावेदक द्वारा फर्जी बताया जा रहा है, इसकी जांच तो सिविल कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है वह गलत है। फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए हैं। सुराना परिवार के साथ प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण उस दस्तावेज को सही माना जा रहा है। उनके पास स्व. दिलीप सिंह के सही हस्ताक्षर है जिससे रजिस्ट्री वाले हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं।
7. विभाग के अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री पर किए गए हस्ताक्षर सही है या गलत है, यह तो रजिस्ट्री कार्यालय से ही पता चल सकता है। जांच में जब तक यह साबित नहीं होता है कि कौन सा हस्ताक्षर सही है तब तक मामले में कुछ बताना कठिन है।
8. अभ्यावेदक ने बताया कि प्रशासन द्वारा केस को कमजोर करने के लिए किसी शिवराम व 13 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है जबकि उनके द्वारा इनलोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्रशासन द्वारा मामले में जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। उक्त भूमि का 76 डिसमिल जमीन अभी खाली पड़ा है जिसका सीमांकन कराकर उन्हें सौंप दिया जाए।
9. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग की अनुशंसा निम्नानुसार हैः
    - प्रकरण में पुलिस महानिदेशक द्वारा रजिस्ट्री दस्तावेजों में किए गए फर्जी हस्ताक्षर की सत्यता की जांच कराई जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- CBS/2/2018/STGCG/DELAAL/RU - III)

श्री चंद्रभान सिंह, मठपारा वार्ड नं. 03, तहसील- दुर्ग, जिला- दुर्ग(छत्तीसगढ़) द्वारा आदिवासी राजगोंड स्व. श्री दिलीप सिंह के करीब 9 एकड़ कृषि भूमि हड़पने के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में भू-राजस्व संहिता की 1959 की धारा (170ख) में दर्ज प्रकरण क्रमांक 01 अ/23 वर्ष 2015-16 में कार्रवाई के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2019 को आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **जिला प्रशासन दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अधिकारी**
  - (1.) श्री खेमलाल वर्मा, अनु. अधिकारी(राजस्व)
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री चंद्रभान सिंह
  - (2.) महेंद्र सिंह ठाकुर